न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र :– 139/2023

1. गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख साकिन खोथावाली हाल आबाद चक 29 एमओडी–बी ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
2. जसकरण सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख साकिन खोथावाली हाल आबाद चक 29 एमओ डी–बी ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
3. हरप्रीत सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख साकिन खोथावाली हाल आबाद चक 29 एमओडी–बी ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

–– प्रार्थीगण

–:बनाम:–

1. मेजर सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह जाति जटसिख साकिन खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री जगजीत सिंह रमाणा –– प्रार्थीगण
2. श्री महेन्द्र सेन –– अप्रार्थी संख्या 1
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा –– अप्रार्थी संख्या 2

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 29/07/24

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क रा.का.अधि मय 151 सीपीसी के तहत प्रार्थीगण की ओर से श्री जगजीत सिंह रमाणा अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है जिसमें संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हे कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का पंजीकृत पता वही जो प्रार्थना पत्र के शीर्षक में निवेदित है। प्रार्थीगण के नाम से संयुक्त खाता की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 29 एमओडी–बी के खाता सं. 29/30 के प.नं. 22/259 मु.नं. 69 के किला नं. 13/2/0.127, 14 ता 25 व प.नं. 23/259 मु.नं. 70 के किला नं. 21 ता 24, 25/1/0.228, 25/2/0.025 व प.नं. 24/256 मु.नं. 52 के किला नं. 5/1/0.177, 5/2/0.051, 5/3/0.025, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7 ता 9, 22 ता 24, 25/1/0.228, 25/2/0.025 की कुल 6.705 हैक नहरी अनकमाण्ड गैर मु. रास्ता खाला राजस्व दर्ज रिकार्ड है। उक्त कृषि भूमि मे प्रार्थी सं. 1 का 1/2 हिस्सा व प्रार्थी सं. 2 व 3 का 1/4 व 1/4 हिस्सा निहित है। अप्रार्थी सं. 1 के नाम से कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 29 एम ओ डी–बी के खाता सं. 34/90 के प.नं. 23/258 मु.नं. 65 के किला नं. 24, 25/1/0.228, 25/2/0.025 व प.नं. 24/256 मु.नं. 52 के किला नं. 12 ता 14, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 1671/0.228, 16/2/0.025, 17 ता 19 की कुल 2.530 हैक. नहरी गैर मु. रास्ता खाला दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण के नाम प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे वर्णित कृषि भूमि संयुक्त खाता की दर्ज रिकार्ड है प्रार्थीगण द्वारा अपने इस सयुक्त खाता की कृषि भूमि के प.नं. 24/256 जिसके किला गुरजीत हरप्रीत सिंह जिसकरण सिंह नं. 1 ता 5 मे स्वीकृत शुदा रास्ता है व किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में स्वीकृतशुदा गैर मु. खाला दर्ज रिकार्ड है। मिन प्रार्थीगण की कृषि भूमि प.नं. 24/256 के किला नं. 5, 6 व 25 व अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि जो प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे वर्णित है के प.नं. 24/256 के किला नं. 15, 16 मे गैर मु. खाला दर्ज रिकार्ड है व मौके पर चालु है प्रार्थीगण की कृषि भूमि के प.नं. 24/256 के किला नं. 6 मे प्रार्थीगण की ढाणीया बनी हुई है जिसमे प्रार्थीगण रिहायश के तौर पर निवासरत है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि के प.नं. 24/256 मे आने जाने व कृषि औजार लाने ले जाने के लिए व कृषि सम्बंधि कार्य करने के लिए व अप्रार्थी सं. 1 को भी अपनी कृषि भूमि जो प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे वर्णित है के प.नं. 24/256 मे आने जाने के लिए व कृषि [illegible] के लिए चक 29 एम ओ डी–बी के प.नं. 24/256 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 मे स्वीकृत [illegible] चालु [illegible] मु. रास्ता के पश्चिम दिशा मे बने रास्ते मिन प्रार्थीगण के किला नं. 5 मे 0.025 है[illegible] 0.025 है व अप्रार्थी सं. 1 के प.नं. 24/256 के किला नं. 15 मे 0.025 हैक. व किला नं. 16 मे 0.025 हैक. मे रास्ता जो मौका पर [illegible]आ व चालु है मिन प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि मे बनी ढाणी व अप्रार्थी सं. 1 अपनी कृषि भूमि मे आ[illegible] है व इसी रास्ते का उंपयोग व उपभोग करते है प.नं. 24/256 के किला नं. 1 ता 5 मे स्वीकृत शुदा रास्ता है इस स्वीकृत शुदा रास्ते से प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 आते जाते हुए प.नं. 24/256 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 मे बने पक्के खाले के साथ साथ पश्चिम दिशा मे उतर से दक्षिण प.नं. 24/256 के किला नं. 05/0.025, 6/0.025, 15/0.025, 16/0.025 मौके पर बने व चालु रास्ता से प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 आते जाते है मिन प्रार्थीगण द्वारा भी अपनी कृषि भूमि प.नं. 24/256 के किला नं. 5, 6 मे से अप्रार्थी सं. 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.07.31 11:31:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

को रास्ता दे रखा है जो इसी रास्ते से अप्रार्थी सं. 1 अपनी कृषि भूमि मे आना जाना है यह रास्ता दोनो मिन प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 को उपयोग व उपभोग हो रहा है इस रास्ता के आलावा मिन प्रार्थीगण पास अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है मिन प्रार्थीगण को किला नं. 22 ता 25 मे पहुंचने के लिए मिन प्रार्थीगण की स्वंय कि प.नं. 24/256 के किला नं. 5, 6 व अप्रार्थी सं. 1 की इसी प.न. के किला नं. 15 व 16 मे बने उक्त रास्ते मे से ही आना जाना करते है इस रास्ते के आलावा प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि व अप्रार्थी सं. 1 को अपनी कृषि भूमि मे आने जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नही है प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि एक ही पत्थर नं. 24/256 मे है सबसे सुगम व नजदीक रास्ता यही है इस कारण प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 इसी रास्ते का उपयोग व उपभाग करते है। मिन प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि मे से भी अप्रार्थी सं. 1 को रास्ता दे रखा है इस कारण मिन प्रार्थीगण चक 29 एम ओ डी–बी के प.नं. 24/256 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 मे बने पक्के खाले के साथ साथ पश्चिम दिशा मे उत्तर से दक्षिण प.नं. 24/256 के किला नं. 5/0.025, 6/0.025, 15/0.025, 16/0.025 मौके पर बने व चालु रास्ता को स्वीकृत करवाने व राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थी सं. 2 जो कि भू–धारक है राजस्व रिकार्ड मे रास्ता स्वीकृत होने के बाद दर्ज रिकार्ड होना इस कारण उन्हे पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है जो कि उचित न्याय शुल्क पर अंदर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत की निवेदन है कि चक 29 एम ओ डी–बी के प.नं. 24/256 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 मे बने पक्के खाले के साथ साथ पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण प.नं. 24/256 के किला नं. 5/0.025, 6/0.025, 15/0.025, 16/0. 025 मौके पर बने व चालु रास्ता को स्वीकृत करवाने व राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने के अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र 151 सीपीस के तहत प्रार्थी संख्या 1 के मन में बदनियती हो गई है व अपने नाम दर्ज प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित भूमि प.न. 24/256 के किला न. 15/0.025, 16/0.025 में बने व चालु रास्ता को बंद करने की फिराक मे है ताकि प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि के किला न 22 ता 25 में न पहुंच सके अप्रार्थी सं. 1 इस चालु रास्ता को मिटाने की फिराक में है यदि अप्रार्थी सं. 1 किला नं. 15, 16 में चालू रास्ता को बंद कर देता है तो मिन प्रार्थीगण के पास अपनी कृषि भूमि के किला नं. 22 ता 25 मे आना जाना दूभर हो जाएगा व मिन प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में नहीं आ जा सकेगें यदि अप्रार्थी संख्या 1 रास्ते मे कोई अवरोध पैदा करते है तो मिन प्रार्थीगण को अपरिमेय क्षति होगी प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन मिन प्रार्थीगण के पक्ष मे है इन अत्यावश्यक व तात्कालिक परिस्थितीयो के दृष्टिगत प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थी सं. 1 इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि अप्रार्थी सं. 1 चक 29 एम ओ डी–बी के प.नं. 24/256 के किला नं. 15/0.025, 16/0.025 मे चालु रास्ता को किसी अवरोध द्वारा बंद न करे व चालु रास्ते की मौके की यथास्थिती बनाए रखें। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत की निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 1 चक 29 एम ओ डी–बी के प.नं. 24/256 के किला नं. 15/0.025, 16/0.025 मे चालु रास्ता को किसी अवरोध द्वारा बंद न करे व चालु रास्ते की मौके की यथास्थिती बनाए रखें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट सरिस्ता बहस एक पक्षिय सुनी जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को दिनांक 14.07.23 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया गया कि तहसील पीलीबंगा के चक 29 एम.ओ.डी.बी. के प०न० 24/256 कि0न0 के कि0न0 15/0.025, 16/0.025 हैक. में रास्ता जो कि स्वीकृत शुदा व चालू रास्ता में मिलता हुआ रास्ता चालू है को अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार से बन्द नहीं करें। चल रहे रास्ता की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गए।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री महेन्द्र सैन अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो शामिल मिसल है दिनांक 20.05.24 को अधिवक्ता उभय पक्ष हाजिर आये एवं प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण स्वयम् हाजिर आये तहरीरशुदा राजीनामा प्रस्तुत किया गया एवं राजीनामा में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रथम पक्ष/प्रार्थीग[illegible]मा हो चुका है जो कि निम्न प्रकार से है प्रथम पक्ष/प्रार्थीगण के नाम से संयुक्त खाता [illegible] तहसील पीलीबंगा के चक 29 एम ओडी–बी के खाता सं. 29/30 के प.नं. [illegible], 14 ता 25 व प.नं. 23/259 मु.नं. 70 के किला नं. 21 ता [illegible] 0.025 व प.नं. 24/256 मु.नं. 52 के किला नं. 5/1/0.177, 5/2/0.051, 5/3/0.025, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7 ता 9, 22 ता 24, 25/1/0.228, 25/2/0.025 की कुल 6.705 हैक. नहरी अ[illegible]ण्ड गैर मु. रास्ता खाला राजस्व दर्ज रिकार्ड है। उक्त कृषि भूमि मे प्रार्थी सं. 1 का 1/2 हिस्सा व प्रार्थी सं. 2 व 3 का 1/4 व 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। द्वितीय पक्ष/अप्रार्थी सं. 1 के नाम से कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 29 एम ओ डी–बी के खाता सं. 134/90 के प.नं. 23/258 मु.नं. 65 के किला नं. 24, 25/1/0. 228, 25/2/0. 025 व प.नं. 24/256 मु.नं. 52 के किला नं. 12 ता 14, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17 ता 19 की कुल 2.530 हैक. नहरी गैर मु. रास्ता खाला दर्ज रिकार्ड है। यह कि प्रथम

प्रशासनिक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.07.31 11:31:58 IST
Reason: SelfAttested

पक्ष/प्रार्थीगण के नाम प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे वर्णित कृषि भूमि सयुक्त खाता की दर्ज रिकार्ड है प्रथम पक्ष/प्रार्थीगण द्वारा अपने इस सयुक्त खाता की कृषि भूमि के प.नं. 24/256 जिसके किला नं. 1 ता 5 मे स्वीकृत शुदा रास्ता है व किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 मे स्वीकृतशुदा गैर मु. खाला दर्ज रिकार्ड है व मौके पर चालु है प्रथम पक्ष/प्रार्थीगण की कृषि भूमि के प.नं. 24/256 के किला नं. 6 मे प्रथम पक्ष/प्रार्थीगण की ढाणीया बनी हुई है जिसमे प्रथम पक्ष/प्रार्थीगण रिहायश के तौर पर निवासरत है। प्रथम पक्ष/प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि के प.नं. 24/256 मे आने जाने व कृषि औजार लाने ले जाने के लिए व कृषि सम्बंधि कार्य करने के लिए चक 29 एम ओ डी–बी के प.नं. 24/256 के किला नं.5, 6, 15, 16, 25 मे स्वीकृत व चालु गैर मु. खाला के पश्चिम दिशा मे बने रास्ते मिन प्रथम पक्ष/प्रार्थीगण के किला नं. 5 मे 0.025 हैक. व किला नं. 6 मे 0.025 हैक. व द्वितीय पक्ष/अप्रार्थी सं. 1 के प.नं. 24/256 के किला नं. 15 मे 0.025 हैक. व किला नं. 16 मे 0.025 हैक. मे रास्ता जो मौका पर बना हुआ व चालु है मिन प्रथम पक्ष/प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि मे बनी ढाणी व अप्रार्थी सं. 1 अपनी कृषि भूमि मे आते जाते है व इसी रास्ते का उपयोग व उपभोग करते है प.नं. 24/256 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 मे बने पक्के खाले के साथ साथ पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण प.नं. 24/256 के किला नं. 5/0.025, 6/0.025, 15/0.025, 16/0.025 मौके पर बने व चालु रास्ता से प्रथम पक्ष प्रार्थीगण व द्वितीय पक्ष/अप्रार्थी सं. 1 आते जाते है इस रास्ता के आलावा मिन प्रथम पक्ष/प्रार्थीगण के पास अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है प्रथम पक्ष/ प्रार्थीगण व द्वितीय पक्ष/अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि एक ही पत्थर नं. 24/256 मे है सबसे सुगम व नजदीक रास्ता यही है इस कारण प्रथम पक्ष/प्रार्थीगण व द्वितीय पक्ष/अप्रार्थी सं. 1 इस रास्ते का उपयोग व उपभोग करते है। राजीनामा के अनुसार प्रथम पक्ष/प्रार्थीगण चक 29 एम ओ डी–बी के प.नं. 24/256 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 मे बने पक्के ख़ाले व साथ साथ पश्चिम दिशा मे उत्तर से दक्षिण प.नं. 24/256 के किला नं. 5/0.025, 6/0.029 15/0.025, 16/0.025 मौके पर बने व चालू रास्ता को स्वीकृत करवाने व राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने के अधिकारी है जिसमें प्रथम पक्ष/प्रार्थीगण व द्वितीय पक्ष/अप्रार्थी सं.की पूर्ण सहमती व रंजामन्दी है।यह कि प्रथम पक्ष/मिन प्रार्थीगण व द्वितीय पक्ष/अप्रार्थी के मध्य राजीनामा हो चुका है इस राजीनामा अनुसार दोनो पक्ष आपस में रजामन्द व सहमत है राजीनामा अनुसार उक्त कृषि भूमि में रास्ते को स्वीकृत करवा के राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने के अधिकारी है। राजीनामा अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजीनामा दोनो पक्षो की सहमती व स्वतंत्र इच्छा से लिखा गया है राजीनामा अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें। राजीनामा उभय पक्ष को स्वीकार होने पर हस्ताक्षर करवाये गए एवं पहचान साबित होने पर राजीनामा तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार पीलीबंगा से प्रकरण के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट पत्रांक रीडर/2023/429 दिनांक 22.08.23 से प्राप्त की गई मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू है। रास्ते में आने वाली भूमि से संबंधित काश्तकारों को पक्षकार बनाया गया है। चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त कोई स्वीकृत रास्ता नही लगता है। चाहे गये रास्ते से कम दूरी का रास्ता नहीं लगता है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नहीं है।

बहस उभय पक्षसुनी गई। उभय पक्ष द्वारा प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत किया गया है बहस पर मनन कर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संलग्न दस्तावेजों शपथ पत्र अवलोकन एवं तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्व काश्ताकरी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के तहत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:आदेशः–

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन व अध्ययन किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा की [illegible] प्रस्तुत नक्शा एव मौका निरिक्षण के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा कम दूरी का रास्ता नही लगता है। प्रार्थीगण चाहा गया रास्ता लघुत्तम है। इसके अतिरिक्त रास्ता हेतु अन्य सुगम रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ता के अलावा वैकल्पिक रास्ता की अनुपलब्धता एवं लघुत्तम व सुविधाजनक रास्ता होने के कारण अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 क आरटीए के प्रावधानों के अनुरूप साबित होने पर स्वीकार किया जाता है कि चक 29 एमओडी–बी के प.नं. 24/256 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में बने पक्के खाले के साथ साथ पश्चिम दिशा मे उत्तर से दक्षिण प.नं. 24/256 के किला नं. 5/0.025, 6/0.025, 15/0.025, 16/0.025 मौके पर बने व चालू रास्ता को बिना किसी प्रतिकर के स्वीकृत किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.07.31 11:31:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा द्वारा आदेशानुसार उक्त रास्ते की भूमि का कोई स्थगन आदेश नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश आज दिंनाक 29/07/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.07.31 11:31:58 IST
Reason: SelfAttested